

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकल पीठ दण्डिक प्रकीर्ण द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र

संख्या 10519/2009

हाजी मस्तान उर्फ सुभान खां उर्फ जाकिर बनाम राजस्थान राज्य।

दिनांक: 18/12/2009

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री बीरीसिंह अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी उप0

श्री प्रदीप श्रीमाल लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा यह द्वितीय जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है और इस पर अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेज/केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र वापस लिये जाने के आधार पर, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5/11/2009 के द्वारा निरस्त करते हुए, उसे यह स्वतन्त्रता प्रदान की गयी थी कि चालान पेश होने के बाद प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः जमानत का प्रार्थना पत्र पेश कर सकेगा। मामले में चालान पेश होने के पश्चात प्रार्थी की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया था जिसे विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 11/12/2009 के द्वारा खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह द्वितीय जमानत का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, चालान

प्रस्तुत किया जा चुका है, अनुसंधान भी पूर्ण हो चुका है और इस प्रकरण में सह-अभियुक्त की जमानत का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जा चुका है तथा विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को भी जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

उभय पक्ष की उक्त दलीलों को सुना जाकर, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में प्रार्थी को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी हाजी मस्तान उर्फ सुभान खां उर्फ जाकिर, पच्चीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र और इसी राशि की एक सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/2009 पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर से संबंधित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(महेशचन्द्र शर्मा)

न्यायाधिपति

/राम/